17. **प्रमाण–पत्रों का सत्यापन**:—आवेदक को वर्ग विशेष(अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/उत्कृष्ट खिलाडी) का लाभ तब ही देय होगा जबकिमुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित होने पर मूल दस्तावेजों से उनकी पात्रता की जाँच कर ली गई हो तथा दस्तावेज सही पाये गए हों। अतः पात्रता की जाँच हेतु निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना सुनिश्चित कर लिया जावे :—

1. जाति प्रमाण –पत्र जो कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर दिया हुआ है।
2. अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के प्रमाण–पत्र में निवास स्थान एवं क्रीमीलेयर/नॉन क्रीमीलेयर की प्रविष्टियां सही–सही एवं पूर्ण भरी गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण–पत्र नियमानुसार नवीनतम जारी किये हुए होने आवश्यक है।
3. अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग का नवीनतम प्रमाण–पत्र जो नियमानुसार पिता/माता की आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ हो। अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिला आवेदक को नियमानुसार पिता/माता की आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण–पत्र विस्तृत आवेदन–पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा निर्धारित शुल्क के अभाव में ऐसा आवेदन–पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा। पति के आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा।
4. राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को Online Application Form पर सामान्य आवेदक के रूप में आवेदन करना होगा।
5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण–पत्र On line Application Form प्राप्ति की अन्तिम दिनांक के पूर्व का जारी होना चाहिए अन्यथा अन्तिम दिनांक के बाद जारी हुए प्रमाण–पत्र पर विचार नही किया जाएगा।
6. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की विवाहित महिला आवेदक को भी उनके पिता के नाम से जारी जाति प्रमाण–पत्र विस्तृत आवेदन–पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे वर्ग का लाभ देय नहीं होगा।
7. शैक्षणिक योग्यता, आयु, विधवा, परित्यकता, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाडी एवं अन्य आवश्यक समस्त मूल दस्तावेज।

18. **आवेदन में गलत सूचना प्रस्तुत करने व अनुचित साधनों की रोकथाम**:—आवेदकों को अपने ऑनलाईन आवेदन में समस्त सूचना सही–सही अंकित करनी चाहिए और परीक्षार्थियों को केन्द्राधीक्षक/अभिजागर/बोर्ड द्वारा नियुक्त अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनिवार्यतः पालन करना होगा, ऐसा न करने अथवा परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करनेएवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपभोग करने पर परीक्षार्थी के विरूद्ध बोर्ड/केन्द्राधीक्षक जो भी उचित समझे समस्त कार्यवाही कर सकता है तथा परीक्षार्थी के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 1992 के अन्तर्गत एवं बोर्ड द्वारा निर्धारित "Punishment for insolent behavior/disorderly conduct/using or attempting unfair means during the course of examination"तथा "The Rajasthan Subordinate and Ministerial Service Selection Board Prevention of Unfair means in Board Examinations Regulations, 2016"के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों के सूचनार्थ निर्धारित दण्ड एवं कारणों की विस्तृत सूचना बोर्ड की वेबसाइट पर दी गई है।

19. **सूचना सहायक के पदों पर भर्ती हेतु परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यकम** :— सूचना सहायक के पदों पर सीधी भर्ती हेतु परीक्षा की स्कीम निम्नानुसार होगी :— परीक्षा दो भागों में होगी। केवल वे अभ्यर्थी जो परीक्षा के भाग–I में अर्हित होते है परीक्षा के भाग–II में उपस्थित होने के लिए पात्र होंगे। परीक्षा के भाग–I के लिए अनुज्ञात अंक और समय तथा परीक्षा के भाग–II के लिए अनुज्ञात समय निम्नानुसार होगा :—

भाग I –लिखित परीक्षा

	अधिकतम अंक	समय
योग्यता परीक्षण, सूचना प्रौद्योगिकी में सामान्य जानकारी और कम्प्यूटर के मूल सिद्धान्त	100	3 घण्टे

भाग II — अहर्ता टंकण गति परीक्षण :

	समय
(क) हिन्दी	15 मिनट
(ख) अंग्रेजी	15 मिनट

टिप्पणी :

अर्हता टंकण गति परीक्षण में कोई अंक प्रदान नहीं किये जावेंगे और योग्यता सूची परीक्षा के भाग–I में प्राप्त अंकों के आधार पर ही तैयार की जायेगी किन्तु केवल वे अभ्यर्थी जो टंकण गति परीक्षण में अर्हता प्राप्त करते हैं योग्यता सूची में सम्मिलित किये जाने के पात्र होंगे।

भाग–I– लिखित परीक्षा का पाठ्य विवरण

योग्यता परीक्षण, सूचना प्रौद्योगिकी में सामान्य जानकारी और कम्प्यूटर के मूल सिद्धान्त

(क) प्रोब्लम सोल्विंग, डाटा इन्टरप्रिटेशन, डाटा सफीशियन्सी लाजिकल रीजनिंग, मेन्टल एबिलिटी एण्ड एनालिटिकल रीजनिंग। भारत और राजस्थान से संबंधित सामान्य ज्ञान तथा समसामयिक मामले, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मुख्य विकास।
(ख) इनपुट–आउटपुट डिवाइसिस, पाइन्टिंग डिवाइसिस और स्केनर सहित ओवरव्यू ऑफ द कम्प्यूटर सिस्टम।
(ग) इन्ट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड प्रोसेसिंग (एमएस–वर्ड), स्प्रेड शीट सॉफ्टवेयर (एमएस–एक्सल), प्रजेन्टेशन सॉफ्टवेयर (एमएस–पावर पोइन्ट), डीबीएमएस सॉफ्टवेयर (एमएस–एक्सेस)।

(घ) रिप्रजेन्टेशन ऑफ डाटा (डिजिटल वर्सेज एनालॉग, नम्बर सिस्टम–डेसिमल, बाइनरी एण्ड हेक्साडेसिमल), इन्ट्रोडक्शन टू डाटा प्रोसेसिंग, कान्सेप्ट्स ऑफ फाईल्स एण्ड इट्स टाईप्स।

(ड) इन्ट्रोडक्शन ऑफ इन्टरनेट टेक्नोलोजी एण्ड प्रोटोकॉल, लेन, मेन, वेन, सर्च सर्विसस/इन्जिंस, इन्ट्रोडक्शन टू ऑनलाईन एण्ड ऑफलाईन मैसेजिंग, वर्ल्ड वाइड वैब ब्राउजर्स, वेब पब्लिशिंग, क्रियेशन एण्ड मेन्टेनन्स ऑफ वेबसाईट्स, एचटीएमएल इन्टरएक्टिविटी टूल्स, मल्टीमीडिया एण्ड ग्राफिक्स, वॉईस मेल एण्ड विडियो कान्फ्रेन्सिंग, इन्ट्रोडक्शन टू ई–कॉमर्स।

(च) सिक्यूरिटी प्रोटेक्टिंग कम्प्यूटर सिस्टम फ्रोम वाइरसैस एण्ड मैलिशस अटैक्स, इन्ट्रोडक्शन टू फायरवाल्स एण्ड इट्स यूटिलिटी, बैकअप एण्ड रिस्टोरिंग डाटा।

(छ) एलगोरिथम फॉर प्रोब्लम सोलविंग, इन्ट्रोडक्शन टू सी लेंगवेज, प्रिन्सिपल्स एण्ड प्रोग्रामिंग टेक्नीक्स, इन्ट्रोडक्शन ऑफ आबजेक्ट आरिएन्टेड प्रोग्रामिंग (ऊप्स) कान्सेप्ट्स इन्ट्रोडक्शन टू "इन्टिग्रेटिड डवलपमेंट इन्वायरमेंट" एण्ड इट्स एडवान्टेजिस।

भाग–II– टंकण गति परीक्षण

केवल उन अभ्यर्थियों का कम्प्यूटर मशीन पर हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं में गति परीक्षण लिया जायेगा जो परीक्षा के भाग–I में अर्हित हुए है। परीक्षा के भाग–II (अर्हता टंकण गति परीक्षण) में प्रविष्ट किये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या विज्ञाप्ति रिक्तियों (प्रवर्गवार) की लगभग तीन गुना होगी।

सामान्य मार्गदर्शन के लिए टिप्पणी :

1. प्रश्नपत्र का स्तर भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक परीक्षा जैसा होगा। प्रत्येक प्रश्नपत्र के विस्तार की संक्षिप्त रूपरेखा अभ्यर्थियों के सामान्य मार्गदर्शन के लिए इस अनुसूची में बतायी गयी है किन्तु इसका सर्वतः पूर्ण होना आशयित नहीं है।
2. यदि किसी अभ्यर्थी को हस्तलेख सुपाठ्य न हो तो उसके द्वारा प्राप्त कुल अंकों में इस कारण कुछ अंकों की, जो उसे अन्यथा प्रोदभूत होते, कटौती कर दी जायेगी।
3. परीक्षा के प्रश्नपत्र के प्रश्न बहुविकल्पीय प्रकार या वर्णनात्मक प्रकार या दोनों प्रकार के हो सकेंगे।
4. परीक्षा के प्रश्नपत्र (पत्रों के समस्त वर्णनात्मक प्रश्नों में शब्दों की समुचित मितव्ययता के साथ की गयी सुव्यवस्थित, प्रभावशाली तथा सही अभिव्यक्ति को महत्व दिया जायेगा।

नोट:– सूचना सहायक भर्ती परीक्षा में ऐसे अभ्यर्थियों को जो लिखित परीक्षा में कुल मिलाकर न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करें, लिखित परीक्षा में अर्हक अंक अभिप्राप्त किया हुआ समझा जायेगा, किन्तु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये लिखित परीक्षा में न्यूनतम अर्हक 36 प्रतिशत होगें। बोर्ड/नियुक्ति प्राधिकारी अपने स्वविवेक से कुल मिलाकर तीन तक अनुग्रह अंक प्रदान कर सकेगा।

20. **बोर्ड की वेबसाइट**:–अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट **www.rsmssb.rajasthan.gov.in** पर उपलब्ध सूचना से भी जानकारी प्राप्त कर सकते है। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष नम्बर 0141–2722520 पर सम्पर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर दुर्गापुरा, जयपुर–302018 को सम्बोधित किया जायेगा।

(डॉ. बी.एल.जाटावत)
अध्यक्ष